न्यायालय ।सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

प्रभूदयाल बनाम केशरी

नाम न्यायालय

केस संख्या 87/11 2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18-7-2024	पत्रावली आज दिनांक 18/7/2024 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/7/2024 को पेश हो। (पत्रावली में उभयपक्ष ने प्रार्थना-पत्र राजीनामा लिंक अधिकारी महोदय न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर-प्रथम में पेश किया)	
	30-7-2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण के बहस की तथा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार बाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14/8/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	14-8-2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश दिनांक 12-9-24 को पेश हो।	
	12-9-24	पत्रावली प्रस्तुत। ... उप ... हो गया है ... वास्ते पुनः बहस ... को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

प्रतिवादीगण: (1) मीनाक्षी शर्मा, कृष्ण कुमार बागड़ा, इन्द्रिरा शर्मा, अरुणा शर्मा, विमलादेवी ...

(1) ... (2) बाबूलाल शर्मा (3) मदनलाल शर्मा (5) ... (6) राजकिशोर शर्मा (7) ... मालीदेवी (8) ... (9) ... (10) ... मोहन (11) राजकुमार (12) रामनारायण (13) ... दाखांदेवी (14) ... (15) ...

Identified by

रामचन्द्र ... एडवोकेट

18/7/2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:11:33 IST
Reason: SelfAttested

ACM आमेर

फर्द अहकाम

प्रभुदयाल बनाम [illegible]

नाम न्यायालय

पेपर संख्या 87/11 [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8/10/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उप०। उभयपक्ष के बहस हेतु समय चाहा। आ.ता. पेशी पर आवश्यकरूप से बहस करे। पत्रावली दिनांक 15/10/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	15/10/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] व्यवस्था / प्रोटो[illegible] [illegible] है। अतः प[illegible] पूर्वानुसार दिनांक 18/10/24 को पेश हो।
	18/10/24	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उप०। बहस हेतु समय चाहा। आ.ता. पेशी पर आवश्यकरूप से बहस करे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/10/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	28/10/24	पत्रावली पेश हुई। व: फ. उप., पत्रावली साबिक आदेश 18/10/24 अनुसार आगामी पेशी दिनांक 8/11/24 को पेश हो।
	8/11/24	पत्रावली आज दिनांक 8/11/24 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] [illegible] पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/11/2024 को पेश हो।
	13/11/2024	[illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] व्यवस्था / प्रोटोकॉल [illegible] पत्रावली [illegible] को पेश हो।
	20/11/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उप० स्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

प्रभुदयाल बनाम केसरी देवी

नियमित वाद संख्या – 87/2011–344/2016
प्रभुदयाल पुत्र कल्याण (मृतक दौराने वाद)

1. मु0 केसरी बेवा प्रभुदयाल
2. बाबूलाल पुत्र प्रभुदयाल
3. मदनलाल पुत्र प्रभुदयाल
4. प्रकाश पुत्र प्रभुदयाल
   समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. मु0 मंजू पुत्री श्री प्रभुदयाल पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम मूण्डियारामसर, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
6. रामकिशोर पुत्र श्री भैरूराम जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. मु0 लाली पुत्री श्री भैरूराम पत्नी श्री गजानंद जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
8. मु0 लक्ष्मा पुत्री श्री कल्याण
9. गोपाल पुत्र कल्याण
10. मोहन पुत्र कल्याण
11. रामकुवार पुत्र कल्याण
12. रामनारायण पुत्र कल्याण
    समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
13. मु0 दाखा बेवा श्री लालचंद
14. बनवारी पुत्र लालचंद
15. महेश पुत्र लालचंद
    समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
16. मु0 भगवती देवी उर्फ भंवरी पुत्री श्री लालचंद पत्नी जटाशंकर जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
17. मु0 सीता उर्फ स्वरूपी पुत्री लालचंद पत्नी नंदकिशोर जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. मु0 केसरी पत्नी श्री नारायण (फौत) के वारिसान्
   1. मीनाक्षी उर्फ मीरा देवी पुत्री श्री प्रभु
   2. कृष्ण कुमार पुत्र प्रभु
   3. मु0 इंदिरा पुत्री प्रभु
   4. अरूण पुत्र प्रभु
      समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम भम्भोरी पोस्ट मांचवा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
   5. बिरदीचंद पुत्र श्री नारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

6. राधेश्याम पुत्र श्री नारायण
7. हनुमान पुत्र श्री नारायण
समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. मु0 प्रेम पुत्री श्री नारायण पत्नी प्रेम जी जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मींडी तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
9. मु0 विमला पुत्री श्री नारायण पत्नी श्री मूलचंद जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी खोराबावडी, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
10. गीता देवी पुत्री श्री नारायण पत्नी श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खोरा बावडी तहसील व जिला जयपुर।

................प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर

दिनांक 20.11.2024

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, वादीगण ने वाद पत्र में अंकित यह किया गया है कि ग्राम पूनाना तहसील आमेर में भूमि खसरा नंबर 165, 134, 137, 225, 226, 227, 228, 163 एवं खसरा नंबर 170 कुल किता 9 कुल रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त भूमि पूर्व में बींज्या बागडा ब्राहम्ण की खातेदारी तथा कब्जे काश्त की थी। बिंज्या का स्वर्गवास संवत 2002 में हो गया, बिंज्या के दो पुत्र कल्याण एवं श्री नारायण थे। श्री नारायण 10 वर्ष की उम्र में ही भौरया पुत्र लच्छू के संवत् 1992 में हिंदु रिति रिवाज के अनुसार गोद चला गया। भौरया पुत्र लच्छू की मृत्यु होने पर भौरया पुत्र लच्छू की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 132, 136, 148, 151, 158 एवं 164 कुल किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि की खातेदारी श्री नारायण के नाम, श्रीनारायण के भौरया का दत्तक पुत्र होने से अंकित कर दी गयी जिसका इंद्राज भू–अभिलेख में विद्यमान है। श्री नारायण भौरया के संवत 1992 में गोद चले जाने के पश्चात् बिंज्या की खातेदारी की भूमि में कोई हिस्सा व अधिकार नहीं रहा तथा न ही उसका उक्त भूमि पर कभी कब्जा रहा किंतु गलती से बिंज्या की मृत्यु के पश्चात कल्याण के साथ श्रीनारायण का नाम भी 1/2 भाग पर गलत रूप से भू–अभिलेखों में दर्ज कर दिया जबकि श्रीनारायण के गोद चले जाने के कारण बिंज्या की खातेदारी की भूमि से कोई हिस्सा श्रीनारायण का नहीं रहा। श्रीनारायण के स्वर्गवास होने के पश्चात प्रतिवादीगण जो उसके उत्तराधिकारी है का नाम श्रीनारायण के स्थान पर 1/2 भाग पर दर्ज हो गया किंतु भूमि को कभी काश्त नहीं किया तथा कल्याण के स्वर्गवास हो जाने पर कल्याण के उत्तराधिकारी जो वादीगण है का नाम कल्याण के स्थान पर दर्ज कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:33 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

उक्त क्षेत्र का बंदोबस्त होने पर मद नंबर 1 में वर्णित भूमि के हाल खसरा नंबर 203 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 204 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 194/1110 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 199 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 121 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 122 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 327 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 328 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 337 रकबा 3.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 33/1147 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 340/1148 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329/1140 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 202 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 301 रकबा 2.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 302 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 303 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 304 रकबा 1.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 307/1133 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 207/1280 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 19 कुल रकबा 10.50 हैक्टेयर श्री नारायण की सहमति से वादीगण के नाम दर्ज कर दिये गये तथा भैरू के खाते की भूमि परिवर्तित खसरा नंबर 195 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 196 रकबा 0. 11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 197 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 116 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 118 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 111 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 129 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 117 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 194 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल रकबा 1.98 हैक्टेयर श्री नारायण के नाम खाते में दर्ज हुई क्योंकि श्री नारायण भोरिया के दत्तक जा चुका था। इसी कारण श्रीनारायण के नाम भोरिया के खातेदारी की भूमि दर्ज की गई तथा बिज्या की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 203, 204, 194/1110, 199, 121, 122, 327, 328, 337, 399/1147, 340/1148, 329/1140, 202, 301, 302, 303, 304, 307/1137, 207/1280 श्रीनारायण की सहमति से वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। जब तक श्रीनारायण जीवित रहा वे अपनी अपनी भूमि को शांतिपूर्वक काश्त करते रहे किंतु श्रीनारायण की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण की नीयत में फर्क आ जाने से उन्होंने भू–प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण के अकेले के नाम किये गये इंद्राज के विरूद्ध भू–प्रबंध आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी। जिसे भू–प्रबंध आयुक्त ने इस आधार पर स्वीकार कर ली कि भू–प्रबंध विभाग को गत इंद्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है तो वादीगण ने राजस्व मंडल के निर्णय के पश्चात भौरया तथा अब प्रतिवादीगण के हक में हुए गलत इंद्राज को निरस्त वास्ते जून 2003 में कहा तो वे इंकार हो गये अतः वादीगण के लिए यह वाद हेतु उत्पन्न होकर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:33 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। तथा जवाब दावा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कर कथन किया कि इंकारी का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित विवादित आराज़ीयात खसरा नंबर 165, 134, 137, 225, 227, 228, 163 कुल किता 8 कुल रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा के 1/2 हिस्से की आराजीयात पर प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

संख्या 1 का पति व 2 लगायत 4 का पिता श्रीनारायण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व से ही काबिज काश्त चला आया है, जिसका अंकन खतौनी बंदोबस्त संख्या 2004 से 2023 में है। मृतक बिज्या की विरासत के आधार पर उक्त आराजीयात श्रीनारायण को प्राप्त नहीं हुई है, उक्त आराजीयात का खातेदार मृतक बिज्या नहीं रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के दिन व उससे पूर्व श्रीनारायण काबिज था। वो खातेदार काश्तकार था। श्रीनारायण के स्वर्गवास के पश्चात खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज हुई है, जो पूर्णतः वैधानिक है। प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा आराजी खसरा नंबर 170 रकबा 18 बीघा सिवाय चक आराजी थी जिसकी खातेदारी श्रीनारायण व कल्याण पुत्रान बिज्या के नाम से धारा 15 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत भरे गये नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 13.04.1960 के आधार पर दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण इस आराजी के 1/2 भाग पर काबिज काश्त है, प्रतिवादीगण से पूर्व श्रीनारायण काबिज काश्त चला आया है। वाद वादीगण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है, खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादिया संख्या 1 का पति व 2 लगायत 4 का पिता श्रीनारायण भौरया वल्द लच्छू के गोद नहीं गया है, न भौरया वल्द लच्छू ने श्रीनारायण को गोद लिया है, बल्कि वास्तविकता यह है कि भौरया वल्द लच्छू की मृतक श्रीनारायण ने उसकी वृदावस्था में सेवा सुश्रुषा की है तथा उसकी भूमि पर काबिज हुआ है। भौरिया वल्द लच्छू का माघ बुदी 13 संवत 2019 को स्वर्गवास होने से उसकी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 132, 136, 148. 151, 158, 164 श्रीनारायण के नाम दर्ज की गई है। वादीगण ने लंबे समय से चले आ रहे राजस्व रिकार्ड को 60 वर्ष तक चैलेंज नहीं किया है, कारण कि राजस्व रिकार्ड सही है। वादीगण ने बदनियतिवश मिन प्रतिवादीगण की आराजीयात को हडप करने के उद्देश्य से सेटलमेंट में साजसी कार्यवाही कर व करवाकर पहले तो खसरा परिशोधन फर्जी तोर पर तस्दीक करवा लिया, जिसको प्रतिवादीगण ने अपील कर निरस्त करवा लिया, जिसको प्रतिवादीगण ने अपील कर निरस्त करवा दिया। अब फिर वादीगण ने बदनियविश प्रतिवादीगण की आराजीयात को हडप करने के उद्देश्य से व भू–प्रबंध आयुक्त के निर्णय की पालना रोकने के उद्देश्य से यह व मनगढंत आधारों पर प्रस्तुत किया है। यहां यह लेख करना भी प्रासंगिक व महत्वपूर्ण है कि वादीगण उत्तरदाता प्रतिवादीगण की विवादित आराजीयात [illegible] न किसी प्रकार हडप करना चाहते है। इसी कारण वादीगण [illegible] कोई दावा वास्ते दुरूस्ती इंद्राज पेश नहीं किया है। मुख्यतः प्रतिवादि[illegible] के पिता श्रीनारायण जब तक जीवित रहे कोई नियमित वाद प्रस्तुत नहीं किया [illegible]वादीगण की प्रस्तुत वाद के लिए बदनियति स्पष्ट रूप से दर्शित करता है। वाद वादीगण किसी भी कारण व आधार पर पोषणीय नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

वाद साक्ष्य के स्तर लम्बित होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत किया कि विचाराधीन वाद ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हाल आरजीयात् खसरा नंबर 302 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 304 रकबा 1.35 हैक्टयर, खसरा नंबर 327 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 328 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 337 रकबा 3.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 307/1133 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 339/1147 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 207/1280 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 340/1148 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329/1140 रकबा 0.53 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 6.81 हैक्टेयर के तन्हा काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण रहेंगे जिनको इन आराजीयात का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे। ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर में अवस्थित हाल आराजीयात खसरा नंबर 194 रकबा 0.19 हैक्टेयर खसरा नंबर 195 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 196 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 197 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 116 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 118 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 111 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 129 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 117 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 194/1110 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 204 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 301 रकबा 2.44 हैक्टेयर (वर्तमान में राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय से परिवर्तित कर खसरा नंबर 301 रकबा 2.22 हैक्टेयर व खसरा नंबर 301/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर) कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर के तन्हा काबिज खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण रहेंगे। इन आराजीयात का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। खसरा नंबर 303 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै0मु0 चाह वादीगण एवं प्रतिवादीगण का शामलाती रहेगा जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा रहेगा। इस आशय की घोषणा की जावें। वादग्रस्त आराजीयात के अलावा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हाल आराजी खसरा नंबर 135 व 136 तन्हा प्रतिवादीगण की खातेदारी की है व इनकी ही खातेदारी में रहेगी। इनसे वादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहेगा। साबिक आराजी खसरा नंबर 170 रकबा 18 बीघा पक्षकारान् की स्व–अर्जित कृषि भूमि है तथा खसरा नंबर 165, 314, 137, 225, 226, 227, 228, 163 कुल रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा बिंज्या की खातेदारी की कृषि भूमि है। प्रतिवादीगण के पिता श्रीनारायण के भौरया पुत्र लच्छू के गोद चले जाने से बींज्या की कृषि भूमि में उनका हिस्सा नहीं रहेगा। क्योंकि श्रीनारायण भौरया पुत्र लच्छू की आराजी साबिक खसरा नंबर 132, 136, 148, 151, 158, 164 कुल रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा श्रीनारायण के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण श्रीनारायण का भौरया पुत्र लच्छू के गोद जाना स्वीकार करते हैं। अतः राजीनामा के अनुरूप ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हाल आरजीयात् खसरा नंबर 302, 304, 327, 328, 337, 307/1133, 207/1280, 339/1147, 340/1148, 329/1140 कुल किता 10 कुल रकबा 6.81

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

हैक्टेयर वादीगण को एवं आराजी खसरा नम्बर 194, 195, 196, 197, 116, 118, 111, 129, 117, 194/1110, 204, 301, व 301/1 कुल किता 13 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। हाल खसरा नंबर 303 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह के 1/2 हिस्से के वादीगण को 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इस आशय की घोषणा की जावें।

राजीनामा प्रस्तुत होने के उपरान्त राजीनामा तस्दीक हेतु वादीगण व प्रतिवादीगण एवं अधिवक्तागण उभयपक्षकरान उपस्थित हुए। दिनांक 18.07.2024 को प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण की पहचान विधिवत उनके अधिवक्तागण द्वारा की गयी। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण ने अभिवचन किया की पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है जिसके संबंध में राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने हेतु उभयपक्ष ने निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। चूंकि उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है जिस प्रकार सभी पक्षकारान की सहमति व्यक्त कि गई है। फलस्वरूप बरूये राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम पूनाना, तहसील आमेर (हाल तहसील जालसू) जिला जयपुर में स्थित उक्त आराजी खसरा नंबर 302, 304, 327, 328, 337, 360/1133, 207/1280, 339/1147, 340/1148, 329/1140 कुल किता 10 कुल रकबा 6.81 हैक्टेयर का वादीगण को व आराजी खसरा नंबर 194, 195, 196, 197, 116, 118, 111, 129, 117, 194/1110, 204, 301 व 301/1 कुल किता 13 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नंबर 303 गैर मु. चाह के 1/2 हिस्से वादीगण को व 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी अंजु वर्मा (आर.ए.एस)

प्रभुदयाल बनाम केसरी देवी

नियमित वाद संख्या – 87/2011–344/2016

प्रभुदयाल पुत्र कल्याण (मृतक दौराने वाद)

1. मु0 केसरी बेवा प्रभुदयाल
2. बाबूलाल पुत्र प्रभुदयाल
3. मदनलाल पुत्र प्रभुदयाल
4. प्रकाश पुत्र प्रभुदयाल

   समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. मु0 मंजू पुत्री श्री प्रभुदयाल पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम मूण्डियारामसर, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
6. रामकिशोर पुत्र श्री भैरूराम जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. मु0 लाली पुत्री श्री भैरूराम पत्नी श्री गजानंद जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम देवला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
8. मु0 लक्ष्मा पुत्री श्री कल्याण
9. गोपाल पुत्र कल्याण
10. मोहन पुत्र कल्याण
11. रामकुवार पुत्र कल्याण
12. रामनारायण पुत्र कल्याण

    समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
13. मु0 दाखा बेवा श्री लालचंद
14. बनवारी पुत्र लालचंद
15. महेश पुत्र लालचंद

    समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
16. मु0 भगवती देवी उर्फ भंवरी पुत्री श्री लालचंद पत्नी जटाशंकर जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
17. मु0 सीता उर्फ स्वरूपी पुत्री लालचंद पत्नी नंदकिशोर जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. मु0 केसरी पत्नी श्री नारायण (फौत) के वारिसान
   1. मीनाक्षी उर्फ मीरा देवी पुत्री श्री प्रभु
   2. कृष्ण कुमार पुत्र प्रभु
   3. मु0 इंदिरा पुत्री प्रभु
   4. अरूण पुत्र प्रभु

      समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम भम्भोरी पोस्ट मोचवा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
   5. बिरदीचंद पुत्र श्री नारायण
   6. राधेश्याम पुत्र श्री नारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

7. हनुमान पुत्र श्री नारायण
समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. मु0 प्रेम पुत्री श्री नारायण पत्नी प्रेम जी जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मींडी तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
9. मु0 विमला पुत्री श्री नारायण पत्नी श्री मूलचंद जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी खोराबावडी, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
10. गीता देवी पुत्री श्री नारायण पत्नी श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खोरा बावडी तहसील व जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 20.11.2024

बरूये राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम पूनाना, तहसील आमेर (हाल तहसील जालसू) जिला जयपुर में स्थित उक्त आराजी खसरा नंबर 302, 304, 327, 328, 337, 360/1133, 207/1280, 339/1147, 340/1148, 329/1140 कुल किता 10 कुल रकबा 6.81 हैक्टेयर का वादीगण को व आराजी खसरा नंबर 194, 195, 196, 197, 116, 118, 111, 129, 117, 194/1110, 204, 301 व 301/1 कुल किता 13 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नंबर 303 गैर मु. चाह के 1/2 हिस्से वादीगण को व 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 20.11.2024 को जारी किया ।

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे		रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:33 IST
Reason: SelfAttested